न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00433

1. बद्रीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   1/1. सूरज बाई आयु 70 वर्ष पत्नी गंगाबिशन पुत्री बद्रीलाल जी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।
   1/2. ललिता आयु 65 वर्ष पत्नी श्री मोहन लाल जी पुत्री बद्री लाल निवासी रजत गृह कोलोनी बून्दी ।
   रविनन्दन पुत्र बद्रीलाल ब्राह्मण (मृतक) जरिये कायममुकामान-
   1/3. श्रीमती कान्ति बाई आयु 70 वर्ष विधवा रविनन्दन शर्मा निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
   1/4. महावीर आयु 38 वर्ष पुत्रगण रविनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
   1/5. राजेन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र बद्री लाल निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।
   1/6. श्रीमती द्रोपदी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रविनन्दन शर्मा पत्नी बनवारी निवासी ग्राम भीयां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/7. श्रीमती आशा आयु 42 वर्ष पुत्री रविनन्दन पत्नी रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी नगरफोर्ट जिला टोंक ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्टगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 26.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक) बद्रीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम खटकड तहसील बून्दी में कुल 03 किता की रकबा 09 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में हरिद्वार गुरू अमरनाथ जी के माफी में दर्ज थी और खातेदार घांसी आत्मज गणपत ब्राह्मण के खाते में दर्ज थी । उक्त भूमि घांसी राम जी के 80 वर्ष पूर्व रहन बिल कब्ज थी । उक्त भूमि की माफी जब्त हो चुकी थी । उक्त भूमि पूर्व खातेदार द्वार रहन रखी थी । घांसीराम जी के 03 पुत्र गोविन्द, देवीराम एवं गणेशराम थे जो घांसीराम जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर काबिज हुए । वर्तमान में उक्त भूमि पर वादी अपीलान्ट बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार बन चुका है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अभी तक सरकार खातेदार तथा वादी मु0 बि0 क0 अंकित होने से वादी के हकों पर आक्षेप पहुंचता है । एसी स्थिति में वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित करावे और राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज करावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें एवं वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें ।

4. प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 से व्यथित होकर वादीगण (मृतक) बद्रीलाल के कायममुकामान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट द्वारा पेश दस्तावेजात से घांसी राम के उक्त भूमि रहन होना सिद्ध है । घांसीराम जी के फौत होने से कांनून की अज्ञानता के आधार पर उक्त भूमि सरकार के खाते दर्ज की है । अपीलान्ट व उनके पूर्वज यथावत मु0 बि0 क0 दर्ज थे एवं भूमि पर काबिज हैं । उक्त भूमि घांसीराम जी के रहन थी, रहन के इन्द्राज को कभी भी किसी ने चैलेंज नहीं किया जो अंतिम है । उक्त भूमि पर पिछले 80 वर्षों से अपीलान्टगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी के अपीलान्ट काश्तकार की हैसियत से धारा 15 व 19 के आधार पर खातेदार बन चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिक प्रावधानों के विपरीत है । अपीलान्ट के द्वारा उद्वरत न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख नहीं किया गया है । तनकीयात का निर्णय विधि–विरूद्ध रूप से किया गया है । दस्तावेजात के आधार पर यह प्रमाणित था कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार घांसी आत्मज गणपत थे । बद्रीलाल एवं उसके पूर्वज गणेशराम एवं घांसीराम के यहॉ आराजी रहन रहना सिद्ध था । घांसीराम आत्मज गणपत के फोत हो जाने पर कानून की अज्ञानता के आधार पर आराजी सरकार के खाते में दर्ज की गई है और अपीलान्ट एवं उनके पूर्वजों को यथावत मु0 बि0 क0 दर्ज किया गया है । सन् 1942–43 में यह आराजी गणेशराम पुत्र घांसीराम के रहन दर्ज थी इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया है । बून्दी स्टेट के इन्द्राज को चुनौती नहीं दी जा सकती । अपीलान्ट एवं उनके पूर्वज रहन के आधार पर काबिज हैं । 80 वर्षों से अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा है जिसको अनदेखा किया गया है । रहन मियाद बाहर हो चुका है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके हैं । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 एवं 19 के अनुसार अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार हो चुके हैं । माफी समाप्त हो जाने पर काबिज व्यक्ति ही खातेदार बन जाता है । अपीलान्ट इस आराजी पर टिनेन्ट की हैसियत से काबिज है । खसरा नम्बर 1320/455 पर भी अपीलान्ट का कब्जा है । राम लक्ष्मण को कुछ समय के लिए जुपाई थी । अब अपीलान्ट का ही कब्जा है । अपीलान्ट ने लगान की रसीदें और खसरा गिरदावरी पेश की हैं जिससे अपीलान्ट का कब्जा प्रमाणित है फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1990 पेज 629, आरआरडी 1983 पेज 240, आरआरडी 2000 पेज 275, एआईआर 1978 (एससी) पेज 209, आरआरडी 2015 पेज 294, आरआरडी 2009 पेज 33, आरआरडी 1963 पेज 71, आरआरडी 2000 पेज 69 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार सरकार है । वादग्रस्त आराजी सरकार के खाते में दर्ज है और माफी रिज्यूम होने के बाद खातेदार के लाऔलाद फौत हो जाने पर सरकार के खाते में दर्ज हुई है जिस पर वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नया खाता संख्या 525 पुराना 986 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकार के खाते में और राहिन महावीर, राजेन्द्र पिसरान रविनन्दन, द्रोपदी, आशा पुत्रियॉ रविनन्दन, कान्ति बाई धर्मपत्नी स्व0 रविनन्दन हिस्सा 1/3, सूरजबाई, ललिताबाई पुत्रियॉ ब्रदीलाल हिस्सा 2/3 दर्ज है । नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति संलग्न है, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2072–75, हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 06.08.2018 संलग्न हैं ।

11. वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत् 2064–67 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति संवत् 2065–68 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2016–19 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2012–15 प्रदर्श–5 जिसके अनुसार जागीरदार/भूमि अधिकारी अमर नाथ वल्द हंसराज कौम ब्राह्मण माफीदार दर्ज हैं और कृषक में घांसी वल्द गणपत, बद्रीलाल पुत्र भंवर लाल मु0 बि0 क0 दर्ज है और कॉलम संख्या 16 में यह नोट अंकित है कि अमरनाथ की माफी सरकार के आदेश दिनांक 01.07.1958 से पुनः ग्रहण का अमल होकर रकम चौथान खारिज हो । खसरा महकमा बन्दोबस्त प्रदर्श–6, अभिभाषक का नोटिस प्रदर्श–7, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श–8, पावती रसीद प्रदर्श–9, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श– 10, पावती प्रदर्श–11, रसीद पिलाई प्रदर्श–12, रसीद लगान प्रदर्श–13 लगायत 25 पेश किये हैं ।

12. वादी की ओर से बयान बद्रीलाल, दुर्गालाल, नीलकण्ठ जोशी कराये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान सतीशचन्द दुवे कराये गये हैं ।

14. वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में यह कथन करते हुए हक घोषणा का दावा पेश किया है कि यह आराजी के हरिद्वार गुरू अमरनाथ माफी दर्ज थी और खातेदार घांसी राम आत्मज गणपत के खाते में दर्ज थी । घांसी कुंवारे थे उनका देहान्त हो चुका है और यह आराजी खातेदारान द्वारा घांसीराम के यहॉ रहन रखी थी और बद्रीलाल वादी उनके वारिस हैं उस पर काबिज हैं इस कारण से उसे खातेदार घोषित किया जावे ।

15. पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी प्रदर्श–5 संलग्न है उसके अनुसार अमरनाथ की माफी पुनःग्रहण हो चुकी है प्रदर्श – 5 में ही अमरनाथ जी को भूमि अधिकारी और घांसी वल्द गणपत को खातेदार और बद्रीलाल वल्द भंवर लाल को मु0 बि0 क0 दर्ज किया गया है । माफी के पुनःग्रहण हो जाने पर भूमि अधिकारी सरकार और खातेदार घांसी वल्द गणपत सरकार होगी। जैसा कि वादी ने अपने दावे में कथन किया है कि खातेदार घांसी वल्द गणपत लाऔलाद फौत हुआ है । प्रदर्श–1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खातेदार सरकार है और रहन बद्रीलाल का नाम दर्ज है । वादी अपीलान्ट ने अपने पक्ष के समर्थन में धारा 15 और 19 के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की प्रार्थना की है । धारा 15 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जब प्रभाव में आया उस समय यदि कोई व्यक्ति खातेदार या खुदकाश्त का खातेदार था है वो खातेदार हो जावेगा और धारा 19 में यह प्रावधान है कि यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जिस दिन प्रभाव में आया है उस समय यदि कोई व्यक्ति खुदकाश्त का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट दर्ज है अथवा खुदकाश्त का टिनेन्ट या सब टिनेन्ट है उसे खातेदारी अधिकार प्रदान होंगे । परन्तु वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जब प्रभाव में आया तब टिनेन्ट या सब टिनेन्ट दर्ज नहीं है वरन् मु0 बि0 क0 दर्ज है । तद्नुसार धारा 15 व 19 के अनुसार वादी अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी अपीलान्ट द्वारा उद्वरत नजीर आरआरटी 1990 पेज 629 यहा चस्पा नहीं होती है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा नजीर आरआरडी 1983 पेज 179 उद्वरत की जिसके अनुसार रहन को बागुजाश्त करने की अवधि 20 वर्ष होती है और 20 वर्ष के बाद वादी की स्थिति एक

अतिक्रमी की हो जाती है जिसे बेदखल करने की अवधि 12 वर्ष की होती है । यदि 12 वर्ष तक बेदखल नहीं किया जाता है तो खातेदारी अधिकार वादी प्राप्त करने का अधिकारी है । इस क्रम में हमारा यह मत है कि रहन की अवधि 20 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद वादी की स्थिति एक अतिक्रमी की होगी और वादग्रस्त आराजी मूल खातेदार के लाऔलाद फौत हो जाने से सरकार के खाते में दर्ज हो चुकी है जिस पर यदि वादी का कब्जा है तो एक अतिक्रमी की हैसियत से है और सरकारी आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इस क्रम में माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच आरबीजे (18) 2011 पेज 388 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/00433

1. बद्रीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1/1. सूरज बाई आयु 70 वर्ष पत्नी गंगाबिशन पुत्री बद्रीलाल जी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।

1/2. ललिता आयु 65 वर्ष पत्नी श्री मोहन लाल जी पुत्री बद्री लाल निवासी रजत गृह कोलोनी बून्दी ।

रविनन्दन पुत्र बद्रीलाल ब्राह्मण (मृतक) जरिये कायममुकामान–

1/3. श्रीमती कान्ति बाई आयु 70 वर्ष विधवा रविनन्दन शर्मा निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

1/4. महावीर आयु 38 वर्ष पुत्रगण रविनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

1/5. राजेन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र बद्री लाल निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

1/6. श्रीमती द्रोपदी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रविनन्दन शर्मा पत्नी बनवारी निवासी ग्राम भीयां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

1/7. श्रीमती आशा आयु 42 वर्ष पुत्री रविनन्दन पत्नी रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी नगरफोर्ट जिला टोंक ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 200/दावा/2010

1. बद्रीलाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1/1. सूरज बाई आयु 70 वर्ष पत्नी गंगाबिशन पुत्री बद्रीलाल जी निवासी हिण्डोली जिला बून्दी ।

1/2. ललिता आयु 65 वर्ष पत्नी श्री मोहन लाल जी पुत्री बद्री लाल निवासी रजत गृह कोलोनी बून्दी ।

रविनन्दन पुत्र बद्रीलाल ब्राह्मण (मृतक) जरिये कायममुकामान–

1/3. श्रीमती कान्ति बाई आयु 70 वर्ष विधवा रविनन्दन शर्मा निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

1/4. महावीर आयु 38 वर्ष पुत्रगण रविनन्दन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

1/5. राजेन्द्र आयु 50 वर्ष पुत्र बद्री लाल निवासी खटकड तहसील एवं जिला बून्दी ।

1/6. श्रीमती द्रोपदी बाई आयु 45 वर्ष पुत्री रविनन्दन शर्मा पत्नी बनवारी निवासी ग्राम भीयां तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

1/7. श्रीमती आशा आयु 42 वर्ष पुत्री रविनन्दन पत्नी रमेश चन्द जाति ब्राह्मण निवासी नगरफोर्ट जिला टोंक ।

––वादी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, बून्दी जिला बून्दी ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे

2. यह अपील तारीख 26.02.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रमेश जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

26/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा